



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062020-219671
CG-DL-E-01062020-219671

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1513]
No. 1513]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISTHA 8, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2020

का.आ. 1683(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं.का.आ. 1514(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 में, क्रम सं. (7) के सामने की प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

[फा.सं.जे.11013/36/2008.आईए.II(II)]

अरविंद नौटियाल, संयुक्त सचिव,

टिप्पण.- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) द्वारा सं.का.आ. 554(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् सं.का.आ. 3447(अ), तारीख 13 जुलाई, 2018 संशोधित की गई।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th May, 2020

S.O. 1683(E).— In exercise of power conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E) dated 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 1514(E) dated the 5th April, 2018, namely:-

2. In the said notification, in the paragraph 5, the entry against serial number (7) shall be deleted.

[F.No. J.11013/36/2008-IA.II (II)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 554(E) dated the 5th April, 2018 and subsequently amended *vide* S.O. 3447(E) dated 13th July, 2018.